न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 113/2025 बउनवानी चैनसुख मीना निवासी बाडरामसर **बनाम** तहसीलदार तलावडा
हीरापुर, तहसील-तलाबड़ा

GCMS No-2025/ 224 **Appeal Number- 321308612718934**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
17.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 21.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर*"तहसील कार्यालय तलावडा के प्रकरण संख्या 220 से संबंधित पत्रावली की छायाप्रति एवं ख0न0 272,273, 276,270 के संबंध में कुल 16 बिन्दुओं की प्रमाणित सूचना"* तहसीलदार तलावडा से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: आरटीआई/2025/274 दिनांक 26.8.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि चाही सूचना मे से बिन्दु संख्या 2,3,4,11,21 की सूचना तहसीलदार तलावडा के पत्रांक 266 दिनांक 18.8.2025 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 1,5,6,7,8,9,10 की सूचना न्यायिक प्रक्रिया की होने के कारण अपीलान्ट को उक्त सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। तथा बिन्दु संख्या 12,13,14,15,16,17,18,19,20 मे चाही गयी सूचना प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 2.2.2009 प्रावधान अनुसार लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध सूचना ही मांगने का अधिकार है। उक्त संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या संख्या 2,3,4,11,21 की सूचना तहसीलदार तलावडा द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है एवं बिन्दु संख्या 1,5,6,7,8,9,10 की सूचना न्यायिक प्रक्रिया की होने के कारण देने से मना किया है जो उचित नही है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिन्दु संख्या 1,5,6,7,8,9,10 की सूचना अपीलान्ट को 7 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध करवायी जावे। इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 12,13,14,15,16,17,18,19,20 की सूचना प्रश्नात्मक होने एवं चाही गयी सूचना पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	